

पर्या डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

नो० - 30/2025

1 संजय कुमार पुत्र काशीराम जाति विश्नोई निवासी चन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

वादी

वनाम्


- 1 काशीराम पुत्र मनीराम जाति विश्नोई निवासी चन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़
- 2 कलावती पत्नी काशीराम जाति विश्नोई निवासी चन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
- 3 राजेश पुत्र काशीराम जाति विश्नोई निवासी चन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम
निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति
के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर
घोषणा की जाती है कि चक 8 एफ. टी. पी.ए के खाता स. 113/20 में प्रतिवादी स.
1 काशीराम के नाम दर्ज 216/797 हिस्सा में 0.5060 हे. व प्रतिवादी स. 3 राजेश
के नाम दर्ज 1124/2391 हिस्सा में 1.0120 हे. व चक 8 एफ.टी.पी.ए खाता स.
115/11 में प्रतिवादीया स. 2 के नाम दर्ज 0.7460 हे. आराजी का वादी को खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमावंदी वदस्तुर रखी जाने के आदेश दिए
जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि
वैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं
हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान
अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 25/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा
से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।